

नियमित शिक्षक ही करवा सकेंगे शोध

यूजीसी के नियम के अनुसार करना होगा कार्य

नव एक्सप्रेस

प्रदेशभर के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नियमित शिक्षक ही शोध कार्य करवा सकेंगे।

शोध में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) रेगुलेशन के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों की कड़ाई से पालन करने की हिदायत देते हुए स्पष्ट किया कि निजी विश्वविद्यालयों में केवल नियमित शिक्षक ही

शोध कार्य करवा सकेंगे। राज्य सरकार के शिक्षकों एवं राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को निजी

विश्वविद्यालय शोध निदेशक नहीं लगा सकेंगे। वहीं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी और विभाग के नियमों की पालना नहीं



करेगी, उन पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद यूजीसी की ओर से भी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी करें

सरकार ने सभी निजी विश्वविद्यालयों यूजीसी के नियमों की पालना करने के लिए कहा है। विश्वविद्यालय से संबंधित सभी सूचनाएं जैसे पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक विनियामक निकायों की अनुमति, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमवार नियुक्त फैकल्टीज का पूर्ण विवरण अपनी-अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी करना होगा।

प्रवेश की प्रक्रिया में पारदर्शिता

निजी विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद या 15 सितम्बर, जो भी पहले हो, तक पाठ्यक्रमवार प्रवेशित छात्रों या शोधार्थियों की सूची वर्षवार एनरोलमेंट नम्बर, परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा परिणामों की जानकारी, एकेडमिक कैलेंडर आदि विवि की वेबसाइट पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित करें। इससे विवि की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

छात्रों को मिलेगा फायदा

सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए यूजीसी के नियमों के अनुसार अपने दिशा-निर्देश दिए हैं। इनमें कोई भी कोताही बरती गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षामंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि इन नियमों से उच्च शिक्षा में पूरी पारदर्शिता आएगी और सभी को फायदा मिलेगा। यदि कोई लापरवाही सामने आती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।